ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

Dharvesh Katheriya (Ph.D)
Asst. Professor
Dept. of Mass Communication
Warden : Birsa Munda Hostel
(Mob) 09922704241

धरवेश कठेरिया (पीएच.डी)
सहायक प्रोफेसर
जनसंचार विभाग
वार्डन : बिरसा मुंडा छात्रावास
(मो.) 09922704241

दिनांक: 31 अगस्त, 2016

सूचना

बिरसा मुंडा छात्रावास के समस्त अन्तः वासियों को सूचित किया जाता है कि वे छात्रावास संबंधी निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करें।

1. छात्रावास में प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सभी की सहभागिता अनिवार्य है।
2. छात्र अपने महत्वपूर्ण सामान (पैसा,लैपटाप,मोबइल आदि) की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें ।
3. मेस कमेटी यह सुनिश्चित करें कि संबंधित सभी छात्रों ने मेस की सहयोग राशि पूर्व निर्धारित समय के अनुसार जमा की है।
4. छात्रावास के मेस समय में परिवर्तन-

नाश्ता - 8.30 से 10 बजे तक (सुबह) भोजन - 1 से 3 बजे तक (दोपहर) भोजन - 8 से 10 बजे तक (रात्रि)

5. मेस के बर्तन जो भी छात्र मेस से बाहर ले जाते हुए पाए गए तो संबधित छात्र तथा मेस कमेटी दोनों पर कार्यवाही की जाएगी।
6. जो छात्र किसी कारण वश बाहर है और खाना रखवाना चाहते हैं वे खाना रखवाने हेतु टिफिन की व्यवस्था स्वंय करें।
7. छात्रावास के किसी भी कक्ष में कोई भी नया छात्र आता है तो इसकी सूचना तत्काल केयर टेकर को दें और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि वो छात्र विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है या नहीं।
8. यदि कोई भी छात्र पान, गुटका, खर्रा खाकर थूकते हुए एवं छात्रावास परिसर को गंदा करते हुए पाया जाता है तो उसपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जो छात्र उसकी फोटो/वीडियो देगा उसे छात्रावास अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा।

Dharvesh 31/08/2016

(धरवेश कठेरिया)

प्रतिलिपि –

1. **कुलपति कार्यालय** , 2. **प्रति कुलपति कार्यालय** , 3. **कुलानुशासक कार्यालय,**
4. **कुलसचिव कार्यालय , उपकुलसचिव अकादमिक कार्यालय ।**
5. प्रभारी लीला (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) 6. **सूचना पट्ट ।**